28/8/24 आज पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। मूल पत्रावली प्रार्थनापत्र 07 R11CPC के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र 212RTAct का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहजाता है। अतः प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौतात कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ी (धौलपुर) राज.